

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-3094 दिनांक-29.06.2018 के द्वारा निम्नलिखित स्थानांतरित /पदस्थापित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारियों के नाम, वर्तमान पदस्थापन एवं नवपदस्थापित स्थान/प्रखंड/जिला के नाम में टंकण भूल वश कतिपय त्रुटि हो गई है, जिन्हें निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है:-

क्रमांक	आदेश के क्रमांक सं०	नाम/पदनाम	नवपदस्थापित स्थान/प्रखंड/जिला का नाम	संशोधित स्थान/प्रखंड/जिला का नाम	अभ्युक्ति
1.	22	श्री अशोक कुमार, चौधरी, प्र०आ०पदा०, नालंदा	खंगड़िया सदर	चौथम, खंगड़िया	
2.		अरुण कुमार उपाध्याय, प्र०आ०पदा०, गया	अनुभाजन पटना (वर्तमान पदस्थापन)	सिसवन, सिवान	

तदनुसार विभागीय आदेश संख्या- 3094 दिनांक- 29.06.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

*Shree*  
29/6/18  
(चन्द्रशेखर)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०३-स्था०-०८/२०१८ - ३०९६

खाद्य, पटना/दिनांक- २९.६.१८

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/संबंधित उप निदेशक (खाद्य)/संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*Shree*  
29/6/18

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०३-स्था०-०८/२०१८ - ३०९६

खाद्य, पटना/दिनांक- २९.६.१८

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

*Shree*  
29/6/18

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०३-स्था०-०८/२०१८ - ३०९६

खाद्य, पटना/दिनांक- २९.६.१८

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

*Shree*  
29/6/18

सरकार के अपर सचिव ।